फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,

किशनगढ अजमेर (राज0)

गोपी उर्फ गोपीराम बनाम श्रीमती राजा व अन्य

दीवानी वाद संख्या 30/21

सीआईएस संख्या 30/21

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.02.2026	श्री इन्द्रेश के. रामचंदानी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से उपस्थित। श्री प्रतीक मेहता, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी की ओर से उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी एवं धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांकित 22-04-2025 का निस्तारण किया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र पर बहस पूर्व तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि स्वयं वादी ने अपने वादपत्र के पैरा संख्या 4 में छोटू, कानाराम एवं श्रीमती गोगा का संयुक्त परिवार से अलग होकर दिनांक 20-04-2018 को राजस्व रिकोर्ड में नामान्तरण संख्या 2660 खुलवाये जाने का तथ्य अंकित किया है। इस तरह यह स्पष्ट हैं कि हीरा पुत्र गणेश के स्वर्गवास के पश्चात उनकी वंशावली में सहदायगी के सदस्य वाद संस्थित करने से पूर्व अपना हिस्सा लेकर पृथक हो गये है। ऐसी स्थिति में इनका संयुक्त अस्तित्व नहीं रहा है। अतः संयुक्तता के आधार पर यह वाद संधारण किये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में विवादित कृषि भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः ऐसी स्थिति में यह वाद वाद कारण विहिन है एवं क्षेत्राधिकार से वर्जित है। साथ ही विधि द्वारा भी वर्जित है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत वाद इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए- 1- 2021 SAR (Civ) 1053 Rajendra Bajoria and ors vs Hemant Kumar Jalan and Ors 2- (1986) AIR (SC) 1753 Commissioner of Wealth Tax Kanpur	

and ors vs Chander Sen and ors

3- 2020 (2) CJ (Civ) (SC) 346 Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusal Th. LRs & Ors.

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी वादी ने अपनी बहस ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि छोटू, कानाराम व गोगा देवी द्वारा पैतृक संपत्ति में अपने निहित हिस्से को पृथक कराये जाने के पश्चात भी शेष संपत्ति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का संयुक्त हक व अधिकार है। इस विवादित संपत्ति का कोई बंटवारा सभी पक्षकारान के मध्य नहीं हुआ है एवं यह अविभाजित रही है। इस कारण धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में लागू होते हैं। हस्तगत वाद में विक्रय पत्र के निस्तारण का अनुतोष चाहा गया है, जो इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया जा सकता है। हस्तगत वाद धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में लिए गये आक्षेप तथ्य व विधि के मिश्रित प्रश्न है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र इस स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए-

1- 2021 Supreme (SC) 297 R.JANAKIAMMAL VS S.K. KUMARSAMY AND ORS

2- 2019 0 Supreme (SC) 313 Babu Ram vs Santokh Singh (deceased) Through his Lrs and ors

3- (1980) AIR (SC) 1173 Kalyani (Dead) By Lrs vs Narayanan and ors

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

जहां तक विवादित संपत्ति के विभाजन होने का प्रश्न है, इस संबंध में हस्तगत पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्व. हीरा पुत्र गणेश के स्वामित्व की संपत्ति का संपूर्ण विभाजन सभी पक्षकारान के मध्य नहीं हुआ है। हस्तगत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने हेतु इस न्यायालय को केवल वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का ही अवलोकन करना है। इस वादपत्र के मद संख्या 17 में वादी ने दिनांक 08-03-2021, 09-

03-2021, 07-05-2021 व 25-08-2021 को वाद हेतुक उत्पन्न होने का कथन किया है। जहां तक विवादित भूमि कृषि भूमि होने के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने का प्रश्न है। इस संबंध में हस्तगत वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी ने पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 08-03-2021 को शून्य व निरस्त घोषित करने की प्रार्थना की है, जो अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा ही प्रदत्त किया जा सकता है। इस तरह उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के कोई न्यायसंगत आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है। परिणामतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। चूंकि हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय का लक्षित प्रकरण संख्या 45 है एवं पिछले लगभग चार से अधिक वर्षो से इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में वादी को यह आदेशित किया जाता है कि वह आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जिरह/साक्ष्य वादी हेतु दिनांक.....को पेश हो।

(संदीप आनन्द)

SUNIL SONI

Steno Gr. II
"Authenticate Document"
Digitally signed by SUNIL SONI
Date: 2026.02.21 16:33:34 +0530